

# ग्रामीण सेवा शिबिर-2025

प्रपत्र-६

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प पीपली डौंडिमान

:- आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी पीपली डौंडिमान  
व भू.अ.नि. डौंडिमान की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेलमगरा/नायब  
तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम  
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम पीपली डौंडिमान तहसील रेलमगरा व  
जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् 2077 में खाता संख्या 108 में  
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल  
दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	पीपली- डौंडिमान	108	गौवर्धन लाल	गौवर्धन लाल

पीठासीन अधिकारी  
सहायक कलक्टर

उपखण्ड अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) कलक्टर, \_\_\_\_\_

रेलमगरा

दिनांक :- 29/9/25

क्रमांक:- 1/राजस्व/2025/41

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार रेलमगरा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावे।
2. प्रार्थी श्री गौवर्धन लाल को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली। गौवर्धन लाल गाँव

पीठासीन अधिकारी  
सहायक कलक्टर

उपखण्ड अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) कलक्टर, \_\_\_\_\_

रेलमगरा